रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-948/2026/1203/22-2-2025-17(274)/2011
लखनऊ: दिनांक: 15 जुलाई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी जसवन्त सिंह (बन्दी संख्या-6348) पुत्र श्री ऊदल सिंह, निवासी-परौरा, थाना-बरला, जनपद-अलीगढ, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-302/149 आई.पी.सी. के अर्न्तगत मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1 अलीगढ़ के आदेश दिनांक 30.10.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2007 द्वारा आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। दिनांक 28.04.2021 तक अपरिहार 24 वर्ष, 28 दिन तथा 31 वर्ष, 08 माह, 14 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-948/2026/1203(1)/22-2-2025 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।